

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश  
गौतम नगर, भोपाल - 462021

दूरभाष 0755-2583650 फ़ैक्स 0755-2583651

ई-मेल [dpimp@sancharnet.in](mailto:dpimp@sancharnet.in)

क्रमांक/स्था.3/डी-1/स्था./02/2012/1311


भोपाल, दिनांक 13/7/2012

// आदेश //

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 5 में निहित निर्देशों के तहत कॉलम क्रं.2 में उल्लेखित व्यायाम शिक्षक (उच्च वेतनमान)/जिला क्रीड़ा एवं कल्याण निरीक्षक कर्मचारियों का प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रं.5 में अंकित जिले में किया जाता है:-

स. क्रं.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई. डी.क्रमांक	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6
1	श्री इन्द्रपाल चौधरी, जिला क्रीड़ा एवं कल्याण निरीक्षक, कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी सतना ।	AY8726	2313070DS01	कार्या. जि. शि. अ. शहडोल	231612ODF01
2	श्री शंकर सिंह ठाकुर, व्या. शि., (उच्च वेतनमान) शास. संयोगितागंज बालक उ. मा. वि. क्रं. 1 इंदौर ।	AM3430	23260177722	जिला क्रीड़ा एवं कल्याण निरीक्षक के पद पर कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर	232601ODA
3	सुश्री रश्मि दीक्षित, जिला क्रीड़ा एवं कल्याण निरीक्षक कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर	AM9179	232601ODA	शास. संयोगितागंज बालक उ. मा. वि. क्रं. 1 इंदौर	23260177722

- 2/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 13, 13.1., 13.2, 13.3, (1,2) 13.4, 13.5 एवं 14 का पालन सुनिश्चित किया जाये ।
- 3/ यदि किसी व्यायाम शिक्षक/जिला क्रीड़ा एवं कल्याण निरीक्षक की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष हो तो उन्हें कार्यमुक्त न किया जाये ।
- 4/ कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानांतरित व्यायाम शिक्षक/जिला क्रीड़ा एवं कल्याण निरीक्षक का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा ।
- 5/ कार्यमुक्त होने के पश्चात् एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् ही स्वीकृत किया जा सकेगा ।
- 6/ स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाईन करने के पश्चात् ही स्वीकृत किया जाएगा ।
- 7/ यदि उपरोक्त स्थानांतरणों में किसी संस्था/कार्यालय में दोहरी पदस्थापना होती है तो संबंधित को कार्यमुक्त न करें ।
- 8/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।  
"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"

  
(अरुण कोचर)


आयुक्त  
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

2.

पृ.क्रमांक/स्था.3/डी-1/स्था./02/2012/1312  
प्रतिलिपि:-

भोपाल,दिनांक 13/7/2012

1. निज सचिव,माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
  2. निज सचिव,माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
  3. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
  4. कलेक्टर जिला शहडोल/सिंगरौली/इंदौर एवं सतना मध्यप्रदेश ।
  5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला शहडोल/सिंगरौली/इंदौर एवं सतना मध्यप्रदेश ।
  6. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण इंदौर/शहडोल एवं रीवा मध्यप्रदेश ।
  7. जिला शिक्षा अधिकारी जिला शहडोल/सिंगरौली/इंदौर एवं सतना मध्यप्रदेश ।
  8. संबंधित ।
- की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

  
आयुक्त 13/7  
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 5 में निहित निर्देश के तहत कॉलम क्र.2 में उल्लेखित व्यायाम शिक्षक का स्वेच्छा के आधार पर समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्र.5 में अंकित जिले में स्थानांतरण किया जाता है-

स. क्र.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6
3	श्री बाबूलाल भूरा,व्या. शिक्षक,शास.उ.मा.वि.कोड जिला धार ।	BN 6734	23250177703	पद विरुद्ध जिला कीड़ा एवं कल्याण निरीक्षक पद पर कार्य।जिला शिक्षा अधिकारी झाबुआ	2324080 D 01


2/ उपरोक्त व्यायाम शिक्षक का स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण उन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।

3/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं । पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये ।

4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाये कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ है जहां से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है । पूर्ण आश्वस्त शासकीय सेवक की सेवापुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे । यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटि/विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जॉच/अपराधिक प्रकरण लंबित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें ।

5/ स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन पदस्थापना स्थल पर एक सप्ताह की समयवाधि में उपस्थित होना होगा । कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे किसी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"


  
(अरुण कोचर)  
आयुक्त

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश  
भोपाल,दिनांक 13/7/2012

पु.क्रमांक/स्था.3/डी-1/स्था./02/2012/1325  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव,माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
2. निज सचिव,माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
4. कलेक्टर जिला धार एवं झाबुआ मध्यप्रदेश ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला धार एवं झाबुआ मध्यप्रदेश ।
6. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण इंदौर ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी जिला धार एवं झाबुआ मध्यप्रदेश ।
8. संबंधित ।

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

  
आयुक्त  
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल - 462021

दूरभाष 0755-2583650 फैक्स 0755-2583651

ई-मेल [dpimp@sancharnet.in](mailto:dpimp@sancharnet.in)

कमांक/स्था.3/डी-1/स्था./02/2012//1309

//आदेश//


भोपाल,दिनांक 13/7/2012

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 5 में निहित निर्देश के तहत कॉलम कं.2 में उल्लेखित व्यायाम शिक्षक (उच्च वेतनमान)/जिला क्रीड़ा एवं कल्याण निरीक्षक कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम कं.5 में अंकित जिले में स्थानांतरण किया जाता है:-

स. कं.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई. डी.कमांक	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6
1	श्री.रती मीना त्रिपाठी,जिला क्रीड़ा एवं कल्याण निरीक्षक,कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी उमरिया ।	AW 2689	23150777711	कार्या.जि.शि.अ. सतना	231307 ODS 01
2	श्री बी.सी. कटारिया,व्यायाम शिक्षक (उच्च वेतनमान) शास. उत्कृष्ट उ.मा.वि.कं.1 शाजापुर ।	AS 7123	23220677701	जिला क्रीड़ा एवं कल्याण निरीक्षक के पद पर कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी शाजापुर	3802003001
3	श्री हेमंत वर्मा, जिला क्रीड़ा एवं कल्याण निरीक्षक,कार्या.जिला शिक्षा अधिकारी बुरहानपुर	AM7764	2348020DS	कार्या.जिला शिक्षा अधिकारी धार	1102003002
4	श्री दीनदयाल शर्मा, जिला क्रीड़ा एवं कल्याण निरीक्षक,कार्या.संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ग्वालियर ।	AR3843	23040566601	कार्या.जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना	2302030DS01
5	श्री रामदास तिवारी, जिला क्रीड़ा एवं कल्याण निरीक्षक कार्या.जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना ।	AR5420	2302030DS01	कार्या.संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ग्वालियर	23040566601

.2.

- 2/ उपरोक्त व्यायाम शिक्षक/जिला.कीड़ा एवं कल्याण निरीक्षकों का स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण उन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।
- 3/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं । पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये ।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाये कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ है जहां से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है । पूर्ण आश्वस्त शासकीय सेवक की सेवापुस्तिका में सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे । यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटि/विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच/अपराधिक प्रकरण लंबित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये ।
- 5/ स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन पदस्थापना स्थल पर एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा । कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे किसी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।  
“प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”


  
(अरुण कोचर)

आयुक्त

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 13/7/2012

पृ.क्रमांक/स्था.3/डी-1/स्था./02/2012/1310  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
  2. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
  3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
  4. कलेक्टर जिला सतना/उमरिया/बुरहानपुर/मुरैना/शाजापुर एवं ग्वालियर ।
  5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सतना/उमरिया/बुरहानपुर/मुरैना/शाजापुर एवं ग्वालियर ।
  6. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण इंदौर/रीवा/उज्जैन एवं ग्वालियर ।
  7. जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना/ उमरिया/बुरहानपुर/मुरैना/शाजापुर एवं ग्वालियर ;
  8. संबंधित ।
- की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

  
आयुक्त

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश